**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**तारांकित प्रश्न सं. 301 का उत्तर**

**सुरक्षा संबंधी कार्यों में त्रुटि की सूचना देने के लिए वेबसाइट**

\***301. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने एक वेबसाइट आरंभ की है जिस पर इसके तेरह लाख कर्मचारी अपनी पहचान बताये बिना सुरक्षा संबंधी कार्यों में हुई आंतरिक त्रुटियों और खतरों की सूचना दे सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वेबसाइट पर सुरक्षा के संबंध में हुई ऐसी कुल कितनी त्रुटियों की सूचना दी गयी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**उत्तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

सुरक्षा संबंधी कार्यों में त्रुटि की सूचना देने के लिए वेबसाइट के बारे में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री ए.के. सेल्‍वाराज के तारांकित प्रश्‍न सं.301 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) और (ख): भारतीय रेल ने फरवरी 2018 में एक वेब आधारित ‘स्‍वैच्‍छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली’ शुरू की है, जो रेल कर्मचारियों द्वारा नोटिस की गई संभावित असुरक्षित पद्धतियों की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए है।

(ग): इस वेबसाइट में 15.03.2018 तक कुल 387 त्रुटियों की रिपोर्ट की गई है। बहरहाल, इसमें सुरक्षा संबंधी किसी भी त्रुटि की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

\*\*\*\*